UPBJ010035872024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 745/2024

सरकार बनाम प्रमोद शर्मा

आरोप

मै अवधेश कुमार प्रथम, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **प्रमोद शर्मा** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि वर्ष 2017 में किसी समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा स्वेता से स्वयं को शर्मा जाति का होने के बाबजूद कुर्मी जाति का होना बताकर धोखा–धडी की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **420** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि आप उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा स्वेता की कार सं0 यू0 पी0 65 डी0 डब्लू–9670 बीमा कराने के बहाने ले गये और मॉगने पर वापस न करके आपराधिक न्यास भंग किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **406** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि दिनॉक 10–12–2023 समय 00:00 बजे वादिनी का घर मौहल्ला पतियापाडा कस्बा व थाना चॉदपुर जिला बिजनौर की सीमान्तर्गत आपने वादिनी मुकदमा स्वेता को मारपीट कर स्वेच्छया उपहरित कारित की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि आपने 2018 से दिनॉक 10–12–2023 के मध्य करीब 5 वर्ष तक वादिनी मुकदमा स्वेता को शादी का झॉसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये तथा अंतिम बार दिनॉक 10–12–2023 को समय 00:00 बजे वादिनी का घर मौहल्ला पतियापाडा कस्बा व थाना चॉदपुर जिला बिजनौर में वादिनी मुकदमा स्वेता के साथ

उसके घर में बलात्कार किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **376** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा स्वेता को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा स्वेता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि आपने वादिनी मुकदमा स्वेता को अनुसूचित जाति का जानते हुए वर्ष 2018 से दिनॉक 10–12–2023 तक शादी का झॉसा देकर कई बार बलात्कार किया उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(2)5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 28–05–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 28–05–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010035872024

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 745/2024

सरकार बनाम प्रमोद शर्मा

<u>28–05–2024</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त प्रमोद शर्मा मय विद्वान अधिवक्ता जमानत पर उपस्थित है।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसके विरूद्व कोई आरोप नहीं बनता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रमोद शर्मा के विरूद्ध धारा 420, 406, 323, 376, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस. टी. एक्ट का आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 28–05–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त प्रमोद शर्मा के विरूद्ध धारा 420, 406, 323, 376, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 05–06–2024 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 28–05–2024

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।